भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने का प्रस्ताव

3249. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में आयुर्वेद, सिद्ध एवं होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जैसी औषधि रहित पद्धति के विकास तथा उन्नयन के लिए मार्च 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के एक पृथक विभाग की स्थापना की है।

देश की जनसंख्या के अनुसार डाक्टर-मरीज का अनुपात

3250. **श्री रामजीलाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश की कुल जनसंख्या का अनुमान कितना है और सरकारी अस्पतालों में डाक्टर-मरीज अनुपात क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान डेंगू रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनमें से कितने लोग स्वस्थ हुए; और

(ग) इस वर्ष दिल्ली और उसके साथ लगे क्षेत्रों में डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जनगणना निदेशालय, दिल्ली के अनुसार इस समय अनुमानित आबादी 9,49,878 हजार है। एलोपैथिक डाक्टरों के मामले में डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:2250 है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धता को देखते हुए, यह अनुपात लगभग 1:950 होगा।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली ने सूचित किया है कि राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों से मिली रिपोर्टों के अनुसार 1996 के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से डेंगू के संभावित रोगियों की सूचना मिली थी। डेंगू से पीड़ित संभावित 16515 रोगियों में से 15970 रोगी इस रोग से मुक्त हुए।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण की एक कार्य योजना तैयार की है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के माध्यम से निवारक उपायों के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, वेक्टर निगरानी तथा वैक्टर नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के उपाय भी सुझाए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत डेंगू को एक खतरनाक रोग घोषित किया गया है। रोगियों के उपयुक्त उपचार के लिए बिम्बाणु निष्कर्षण तथा आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया गया है। वैक्टर निगरानी तथा वैक्टर नियंत्रण के सुझाए गए उपाय शुरू किए गए है।

Complaint of Ayurvedic Drug Manufacturers Association Against Arbitrary Action of Sales Tax/Excise Authorities

3251. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ayurvedic Drug Manufacturers Association of India has complained that alternative medicine industry is facing closure due to step-motherly treatment by Government through arbitrary action of sales tax and excise authorities; and

(b) whether Government have plans to strengthen these common man's system

of medicine which are gaining recognition even in developed countries; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Some of the Ayurvedic Drug Manufacturers Associations have represented to Governemnt of India to withdraw the 10% advaloram Excise duty from Patent & Proprietary Ayurvedic Siddha and Unani medicines imposed in 1994 vide Notification No. 75/94 Central Excise, dated 29th March, 1994. There is no excise duty on classical Ayurvedic Siddha and Unani medicines. The Ministry of Health and Family Welfare, Department of ISM&H has taken up the matter with the Ministry of finance for withdrawing Excise duties from patient & Proprietary Ayurvedic-Siddha and Unani drugs. Accordingly Department of Revenue, Ministry of Finance has proposed to reduce duties at the rate of 8% in the Budget of 1997-98.

(b) Yes, Sir. Government have taken a number of steps to strengthen the Ayurveda-Siddha and Unani systems of medicines in respect of education, Drug standardisation, quality control. Reserch & development and to increase the availability of raw drugs i.e. medicinal Plants. Action has been intitiated for utilising the services of ISM doctors in National Health Delivery Programme including Family Welfare.

दिल्ली में एच॰आई॰वी॰ पाजिटिव के मामले

3252. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में एच॰आई॰वी॰ पाजिटिव एड्स के रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार एड्स को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) एड्स रोगियों के उपचार के लिए दिल्ली में क्या प्रबंध किए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में मार्च, 1997 के अंत तक 1244 एच आई वी पाजिटिव रोगी तथा 121 एड्स रोगी है।

(ख) भारत में एच आई वी/एड्स के प्रकोप को रोकने तथा नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम देश भर में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में उच्च जोखिम के आचरण वाले लोगों तथा एच आई वी/एड्स के बारे में सामान्य जनता में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना, रक्त निरापदता तथा रक्त का युक्तियुक्त उपयोग निगरानी को सुदृढ़ करना और एच आई वी/एड्स रोगियों का निदान तथा नैदानिक प्रबंधन करना शामिल है।

(ग) एड्स रोगियों तथा अन्य रोगियों के मध्य कोई भेद नहीं है और इस प्रकार दिल्ली के अस्पतालों में अन्य सामान्य रोगियों की भांति दिल्ली में एड्स के सभी रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

Government Doctors, Nurses and para-medical Staff Joining Private Hospitals

3253. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Doctors, Technician and Nurses with professional experience do leave the Government hospitals to join private hospitals;

(b) what are the positive, initiatives being taken by Government to check this exodus; and

(c) the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) to (c) There is no reported large scale exodus of Doctors, Technicians and nurses from Government Hospitals to private hospitals. The Government periodically reviews the facilities available for professional satisfaction of technical staff and augments the same, keeping in view the public interest, employees views and availability of resources.